UPCH010016752015

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश (ई0सी0 एक्ट)/एफ0टी0सी0 (न्यू), चित्रकूट।

पीठासीन अधिकारी- (राम मणि पाठक), (उच्चतर न्यायिक सेवा) - UP 1594

विशेष (विद्युत) वाद संख्या–46/2015

उ0प्र0 राज्य .....**अभियोजक।**

बनाम

नारायण प्रसाद गुप्ता पुत्र सुन्दर लाल निवासी सुभाष नगर थाना मानिकपुर जिला चित्रकूट, उ0प्र0।

.....**अभियुक्त।**

अपराध संख्या–157/2014
धारा–138(बी) भा0वि0अधि0
थाना–मानिकपुर,
जनपद–चित्रकूट।

अभियोजन की ओर से विद्वान अधिवक्ता .....श्री मुगीशुद्दीन सिद्दीकी।
अभियुक्त की ओर से विद्वान अधिवक्ता .....श्री प्रणव त्रिपाठी।

निर्णय

1. अभियुक्त नारायण प्रसाद गुप्ता पुत्र सुन्दर लाल निवासी सुभाष नगर थाना मानिकपुर, जिला चित्रकूट का विचारण मुकदमा अपराध संख्या–157/2014, धारा–138(बी) भारतीय विद्युत अधिनियम के अन्तर्गत थाना मानिकपुर, जनपद चित्रकूट की पुलिस द्वारा प्रेषित आरोप पत्र के आधार पर किया गया है।

2. अभियोजन कथानक संक्षेप मे इस प्रकार है कि दिनांक 31.12.2014 को समय 11:00 बजे से 14:00 बजे के मध्य स्थान सुभाष नगर, थाना मानिकपुर जिला चित्रकूट मे अवर अभियन्ता अनुपम कुमार व अन्य विद्युत कर्मियों के साथ क्षेत्र के बकायेदारो के विद्युत बिल वसूली एवं कनेक्शन चेकिंग के दौरान आपके विद्युत संयोजन संख्या–सी.के.3/0907/019510 को, जो बकाया मु0 64,747/– रूपये पर पूर्व मे विच्छेदित किये जाने के बावजूद अभियुक्त पुनः जोड़कर अवैध रूप से विद्युत का उपभोग/चोरी करता हुआ पाया गया।

3. वादी मुकदमा की तहरीर के आधार पर सम्बन्धित थाना मानिकपुर, जनपद चित्रकूट मे अभियुक्त नारायण प्रसाद गुप्ता के विरूद्ध अपराध संख्या–157/2014

Digitally signed by RAMMANI PATHAK
Date: 2026.05.15 07:30:30 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

धारा–138(बी) भारतीय विद्युत अधिनियम के अन्तर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत की गयी, जिसका विवरण मुकदमा कायमी जी0डी0 नम्बर 37 समय 20:30 बजे अंकित किया गया।

4. विवेचक द्वारा मामले की विवेचना करते हुये घटनास्थल का निरीक्षण कर नक्शा–नजरी तैयार किया एवं साक्षियों के कथन अंकित किये तथा दौरान विवेचना संकलित साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त नारायण प्रसाद गुप्ता के विरूद्ध धारा–138(बी) भारतीय विद्युत अधिनियम के तहत आरोप–पत्र न्यायालय प्रेषित किया।

5. अभियुक्त नारायण प्रसाद गुप्ता के विरूद्ध प्रेषित आरोप–पत्र पर न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया गया तथा अभियुक्त के विरूद्ध धारा–138(बी) भारतीय विद्युत अधिनियम के तहत आरोप दिनांक 20.03.2021 को विरचित किया गया, जिससे अभियुक्त ने इन्कार किया और विचारण की मांग की।

6. अभियोजन पक्ष की ओर से निम्नलिखित साक्षी को परीक्षित कराया गया है–

साक्षी संख्या	**साक्षी का नाम**	**साक्ष्य की प्रकृति**	**साक्षी द्वारा साबित प्रपत्र**	**प्रदर्श क्रमांक**
पी0डब्लू–1	अनुपम कुमार (अवर अभियन्ता)	वादी मुकदमा	तहरीर	प्रदर्श क–1
पी0डब्लू–2	राम मूरत सिंह (टी0जी0 2)	तथ्य का साक्षी	तहरीर	प्रदर्श क–1

7. अभियोजन/विद्युत विभाग की ओर से अब अन्य कोई अभियोजन साक्ष्य प्रस्तुत न करने का पृष्ठांकन पत्रावली के आदेश पत्रक पर किया गया। तत्पश्चात् अभियुक्त का बयान अन्तर्गत धारा–313 दं0प्र0सं0 अंकित किया गया। अभियुक्त ने अपने बयान मे अभियोजन कथानक को गलत बताया तथा मुकदमे को झूंठा व गलत चलना कहा है। अभियुक्त ने प्रतिरक्षा मे साक्ष्य देने से भी इन्कार किया है।

8. मैने राज्य की ओर से विद्युत विभाग के विद्वान अधिवक्ता एवं अभियुक्त की ओर से उसके विद्वान अधिवक्ता की बहस सुना तथा पत्रावली का सम्यक् अवलोकन किया।

9. बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि अभियुक्त निर्दोष है। उसे झूंठा फँसाया गया है। अभियोजन पक्ष उस पर लगाये गये आरोप को साबित नहीं कर सका है। इसके अतिरिक्त यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि असुविधाओं से बचने के लिए अभियुक्त ने सम्बन्धित प्राधिकारी विद्युत विभाग से अपराध का शमन कर लिया है तथा निर्धारित शमन शुल्क व बकाया विद्युत बिल विभाग मे जमा कर दिया है और अब विद्युत विभाग का कोई बकाया शेष नहीं है।

10. राज्य की ओर से विद्युत विभाग के विद्वान अधिवक्ता द्वारा कथन किया गया

कि अभियोजन द्वारा तथ्य के बिन्दु पर परीक्षित साक्षीगण की साक्ष्य से अभियुक्त के विरुद्ध आरोपित आरोप सिद्ध है। अतः अभियुक्त को दोषसिद्ध किया जाये।

11. किसी विवेचन के अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षी के साक्ष्य का संक्षिप्त विवरण दिया जाना आवश्यक है, जो कि निम्नवत् है–

12. **पी0डब्लू0–01 अनुपम कुमार,** अवर अभियन्ता विद्युत विभाग, ने अपनी मुख्य परीक्षा मे सशपथ कथन किया है कि दिनाँक 31–12–2014 को बकाया वसूली अभियान चलाया गया, जिसमें मेरे साथ उपखण्ड अधिकारी द्वितीय कर्वी आशीष कुमार विश्वकर्मा, विनय कुमार गौंड श्रमिक, राममूरत सिंह टी०जी०–2 एवं मिश्रीलाल लाइन मैन के साथ पूर्व में बिद्युत बकाया होने पर काटे गये विद्युत संयोजनों की जाँच की गयी। जिसमें नारायन प्रसाद गुप्ता पुत्र सुंदरलाल गुप्ता निवासी सुभाष नगर मानिकपुर के घरेलू संयोजन सं० सी.के.3/0907/019510 को दिनाँक 19–12–2014 को रुपये 64,747/– बकाये में काटा गया था, के संयोजन की जाँच की गयी जिसमें संयोजन पुनः जोडकर विद्युत उपभोग करते हुए पाया गया। मौके पर संयोजन पुनः विच्छेदित कर दिया गया। जिसकी तहरीर मौके पर तैयार की गयी एवं उसी दिनॉक को थाना मानिकपुर में जाकर उपभोक्ता के खिलाफ एफ०आई०आर० दर्ज करायी गयी। तहरीर कागज सं० 04क/4 मेरे हस्तलेख व हस्ताक्षर में है, जिसकी मैं पुष्टि करता हूँ जिस पर प्रदर्श क–1 डाला गया। तहरीर मे मेरे साथ–साथ उपखण्ड अधिकारी द्वितीय कर्वी आशीष कुमार विश्वकर्मा, विनय कुमार गौंड श्रमिक, राममूरत सिंह टी०जी०–2 एवं मिश्रीलाल लाइन मैन के हस्ताक्षर बने हैं जिनके हस्ताक्षर को मै भली भाँति जानता पहुंचानता हूँ। विवेचक द्वारा मेरे बयान लिये गये।

बचाव पक्ष की ओर से की गयी प्रतिपरीक्षा मे साक्षी ने मुख्यतः कथन किया है कि नारायण प्रसाद गुप्ता का विद्युत बकाया होने पर कनेक्शन दिनाँक 19–12–2014 को काटा गया था। उपभोक्ता नारायण प्रसाद को केवल विद्युत बिल दिया गया था, अलग से कोई नोटिस नहीं दी गयी थी। कनेक्शन काटने के बाद उन्हें कनेक्शन विच्छेदन की रसीद दी गयी थी। रसीद की प्रति इस पत्रावली पर लगी नहीं है। आफिस में होगी जिसे आज मैं नहीं लाया। नारायण द्वारा पत्रावली में दाखिल छायाप्रति ओ0टी0एस0 की रसीद 1,000/– रूपये की और 30,353/– रूपये एकमुश्त समाधान योजना के अन्तर्गत दिनांक 16–01–2015 को एवं 15,624/– रुपये 22 मार्च 2021 को जमा किया है। उपभोक्ता नारायण गुप्ता का कुल 64,747/– रूपये उस समय बकाया था, उसी का उपभोक्ता द्वारा एकमुश्त समाधान योजना के तहत बिल जमा कराया गया था। उपभोक्ता का जितने बकाये के कारण उस समय विद्युत कनेक्सन विच्छेदित किया गया था वह सब उसने एकमुश्त समाधान योजना के तहत जमा कर दिया था।

13. **पी0डब्लू0–2 राम मूरत सिंह,** टी0जी0 2 ने अपनी मुख्य परीक्षा मे सशपथ कथन किया है कि दिनांक 31–12–2014 को बकाया धनराशि वसूलने का अभियान चलाया गया जिसमें एक टीम बनायी गयी। जिसमें उपखण्ड अधिकारी आशीष कुमार विश्वकर्मा, अवर अभियंता अनुपम कुमार, विनय कुमार गौड श्रमिक तथा मिश्री लाल लाइन मैन 33/11 के०वी० मानिकपुर जीप से मय ड्राइवर समय लगभग 11:00 बजे से 14:00 बजे तक सघन अभियान चलाया गया, जिसमें मैं भी उस समय टीम का सदस्य था। जिसमें कुछ व्यक्तियों द्वारा अपना कटा कनेक्शन पुनः जोडकर विद्युत उपयोग करते पाया गया, जिसमें नारायण प्रसाद गुप्ता पुत्र सुंदर लाल गुप्ता निवासी सुभास नगर थाना मानिकपुर स्वीकृत संयोजन संख्या–सी.के.3/0907/19510 जिसकी क्षमता एक के०वी० घरेलू संयोजन में बकाया धनराशि 64,747/– रुपये दिनांक 19–12–2014 को काटा गया था, ने अपना संयोजन पुनः अवैध रूप से जोड़कर चलाते हुए पाया गया। जिसका यह कृत्य विद्युत अधिनियम की धारा 138 के तहत दण्डनीय अपराध है, जिसके सम्बन्ध में मु०अ०सं०–157/2014 थाना मानिकपुर में दिनांक 31–12–2014 को दर्ज कराया गया था। कागज सं०–04क/4 मूल तहरीर है जिस पर मेरे हस्ताक्षर हैं जिसकी में पुष्टि करता हूँ जिस पर पूर्व से प्रदर्श क–1 पड़ा है।

बचाव पक्ष की ओर से की गयी प्रतिपरीक्षा मे साक्षी ने मुख्यतः कथन किया है कि पहली बार मेरे द्वारा कनेक्शन धारक नारायण प्रसाद गुप्ता के घर विद्युत कनेक्शन की चेकिंग करने दिनांक 19–12–2014 को गया था। जब हम चेकिंग करने गये थे तो विद्युत कनेक्शन धारक नारायण प्रसाद गुप्ता मिले थे। जब मैं व टीम पहुंचे तब हमारे द्वारा कोई नोटिस विद्युत बकाया जमा करने हेतु नही दिया गया कि विद्युत बकाया जमा कर दो नहीं तो तुम्हारा कनेक्शन काट दिया जायेगा। खम्भे में चढ़कर विद्युत कनेक्शन विनय कुमार द्वारा काटा गया था। कनेक्शन मात्र पोल से काटा गया था केबिल नहीं लायी गयी थी। जिस दिन कनेक्शन काटा गया था उस दिन मीटर में कितनी रीडिंग थी इसको टीम द्वारा नहीं नोट किया गया था। प्रथम बार जब हम लोग चेकिंग करने गये थे तब हमारे साथ जे०ई० अनुपम कुमार, विनय कुमार गौंड श्रमिक थे। उस दिन सुभाष नगर में दो बकायादारों के विद्युत विच्छेदन किया गया था शेष अन्य मोहल्ले में काटे गये थे। विद्युत विच्छेदन का कोई रसीद आदि उपभोक्ता को नहीं दी गयी थी। उपभोक्ता को मौके पर बताया गया कि उसका विद्युत कनेक्शन बकाया न जमा करने के कारण काटा जा रहा है। विच्छेदन की रसीद बाद में भी उपभोक्ता को नहीं दी गयी थी। दुबारा चेकिंग करने गये थे तब पता चला कि कनेक्शन धारक द्वारा कनेक्शन पुनः जोड लिया गया है। दूसरी बार चेकिंग करने पूरी टीम गयी हुई थी। कार्यालय में कोई रवानगी रजिस्टर नहीं होता है। दूसरी बार चेकिंग करने हम लोग 31–12–2014 को समय करीब 11 से 2 बजे दिन के बीच गये थे। दूसरी बार कनेक्शन

विनय कुमार श्रमिक ने काटा था। उपभोक्ता के घर से लायी गयी तार आज न्यायालय में उपलब्ध नहीं है।

14. अभियोजन की ओर से परीक्षित तथ्य के साक्षीगण पी0डब्लू0–1 अनुपम कुमार (वादी) व पी0डब्लू0–2 राम मूरत सिंह ने अपने–अपने साक्ष्य मे दिनांक 31.12.2014 को समय 11:00 बजे से 14:00 बजे के मध्य स्थान सुभाष नगर, थाना मानिकपुर जिला चित्रकूट मे अवर अभियन्ता अनुपम कुमार व अन्य विद्युत कर्मियों के साथ क्षेत्र के बकायेदारो के विद्युत बिल वसूली एवं कनेक्शन चेकिंग के दौरान विद्युत संयोजन संख्या–सी.के.3/0907/019510 को, जो बकाया मु0 64,747/– रूपये पर पूर्व मे विच्छेदित किये जाने के बावजूद अभियुक्त द्वारा पुनः जोड़कर अवैध रूप से विद्युत का उपभोग/चोरी करने का कथन किया गया है।

15. अभियुक्त की ओर से यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि असुविधाओं से बचने के लिए अभियुक्त द्वारा सम्बन्धित प्राधिकारी विद्युत विभाग से अपराध का शमन कर लिया गया है तथा शमन शुल्क विद्युत विभाग मे जमा कर दिया गया है। इस सम्बन्ध मे अभियुक्त की ओर से शमन शुल्क मु0 2,000/– रूपये दिनांक 12.05.2026 को जमा किये जाने की रसीद कागज संख्या–47ख/2 एवं सम्पूर्ण विद्युत बिल जमा ओ0टी0एस0 की रसीद 1,000/– रूपये व मु0 30,353/– रूपये एकमुश्त समाधान योजना के अन्तर्गत दिनांक 16–01–2015 को एवं मु0 15,624/– रुपये दिनांक 20.03.2021 को जमा करने की रसीदे दाखिल किया गया है। अभियुक्त के द्वारा दाखिल की गयी शमन शुल्क रसीद कागज संख्या–47ख/2 के अवलोकन से स्पष्ट है कि अभियुक्त के द्वारा दिनांक 12.05.2026 को अपराध मे शमन करते हुये शमन शुल्क मु0 2,000/–रूपये (दो हजार रूपये) दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के कर्वी, चित्रकूट धाम कार्यालय मे जमा किया गया है। अभियुक्त के द्वारा अपराध का शमन कर लेने तथा शमन शुल्क व बकाया विद्युत बिल जमा कर देने का विद्युत विभाग की ओर से कोई खण्डन नहीं किया गया है, बल्कि विद्युत विभाग के पैरोकार द्वारा पत्रावली के आदेश पत्रक के हंसिए पर इस बात का पृष्ठांकन किया गया है कि **''उपरोक्त मुकदमे मे अभियुक्त द्वारा समन शुल्क व बकाया विद्युत बिल जमा किया जा चुका है, अब बकाया विद्युत बिल शेष नही है।''** ऐसे मे चूँकि अभियुक्त ने धारा–152 भारतीय विद्युत अधिनियम मे दिये गये प्राविधान के तहत अपराध का शमन कर लिया है तथा शमन शुल्क जमा कर दिया है। अतः धारा–152(3) भारतीय विद्युत अधिनियम मे दिये गये प्राविधान के तहत इस अपराध मे उसे दोषमुक्त किये जाने का आधार है। तद्नुसार अभियुक्त नारायण प्रसाद गुप्ता लगाये गये आरोप अन्तर्गत धारा–138(बी) भारतीय विद्युत अधिनियम से दोषमुक्त किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

अभियुक्त नारायण प्रसाद गुप्ता पुत्र सुन्दर लाल निवासी सुभाष नगर थाना मानिकपुर, जिला चित्रकूट को विशेष (विद्युत) वाद संख्या–46/2015, मु0अ0सं0–157/2014, धारा–138(बी) भारतीय विद्युत अधिनियम, थाना मानिकपुर, जनपद चित्रकूट के अपराध मे उसके द्वारा शमन कर लिये जाने के आधार पर धारा–152(3) भारतीय विद्युत अधिनियम मे दिये गये प्राविधान के तहत दोषमुक्त किया जाता है। अभियुक्त जमानत पर है, उसके जमानतनामे एवं व्यक्तिगत बन्ध पत्र निरस्त किये जाते हैं तथा प्रतिभूगण को उसके दायित्वों से उन्मोचित किया जाता है।

विद्युत विभाग अभियुक्त नारायण प्रसाद गुप्ता से राजस्व की वसूली, यदि कोई शेष हो, को वसूल करने के लिए स्वतन्त्र होगा।

दिनाँक–14.05.2026

(राम मणि पाठक)
अपर सत्र न्यायाधीश (ई0सी0 एक्ट)/एफ0टी0सी0(न्यू),
चित्रकूट।
ID No.-UP 1594

आज यह निर्णय खुले न्यायालय मे मेरे द्वारा हस्ताक्षरित्, दिनांकित एवं उद्घोषित किया गया।

दिनाँक–14.05.2026

(राम मणि पाठक)
अपर सत्र न्यायाधीश (ई0सी0 एक्ट)/एफ0टी0सी0(न्यू),
चित्रकूट।
ID No.-UP 1594